ग्राम पंचायत घण्डालवीं, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावना (क):—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत घण्डालवीं, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0	नाम	अवधि
1	श्रीमति सरला चौहान	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री रमेश कुमार	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिवः—

क्र0	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुविधा देवी	01.04.2016 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत घण्डालवीं, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.06
2	6	नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का प्रयोग	——
3	7	नियमों के विरूद्ध पन्द्रह बैंक बचत खातों का खोला जाना	——

4	8	बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना	––
5	9	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना	3.07
6	10	वर्ष 2016–17 के लिए किए गए व्यय के लिए मनरेगा रोकड़ बही का न लिखा जाना	18.77
7	14	निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखना	––
8	16	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.63
9	17	अनुदान की राशि का अवरोधन	39.85
10	18	हरियाली के अनुदान की राशि को बिना उपयोग वापिस करना	6.60
11	19	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय करना	1.36
12	20	खरीदी गई सामग्री पर अनियमित व अधिक भुगतान	0.04

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत घण्डालवीं, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20/04/2017 से 26/04/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 02/2015, 03/2016, 03/2017 व 12/2014, 10/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत घण्डालवीं, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–67 दिनांक 26/04/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. रा. स. बैंक भराड़ी के चैक संख्या 299736 दिनांक 26–04–2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	167655	20246	187901	19189	168712
2014–15	168712	23037	191749	32844	158905
2015–16	158905	246381	405286	53628	351658

4.2 अनुदानः– ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1848628	3997764	5846392	3023709	2822683
2014–15	2822683	3384485	6207168	4038615	2168553
2015–16	2168553	5136086	7304639	3319779	3984860

5 बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत घण्डालवीं की रोकड़ बही अनुसार संकलित वित्तीय स्थिति की उपरोक्त ₹43,36,518/– (351658+3984860) की अन्तशेष की राशि का बैंक खातों में जमा विवरण तथा बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

क्र	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1)			351658
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2)			3984860
रोकड़ बहियों अनुसार अन्तशेष का कुल योगः				**4336518**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	खाता 'क'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	5281	351289
2	पंचायत निधि–खाता 'ख'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	5261	1175705
3	मनरेगा	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	6113	0
4	13वां वित्तायोग	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8910	2445552
5	इन्दिरा आवास योजना	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8905	0
6	राजीव/अटल आवास योजना	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8911	3224
7	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8904	5341
8	सांसद क्षेत्र विकास निधि	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8906	2817
9	हरियाली	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	6017	0
10	हरियाली– लाभार्थी अंशदान	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	6738	40052
11	निर्मल भारत अभियान	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8907	25192
12	मुख्यमन्त्री ग्राम आदर्श योजना	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8908	64749
13	मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8909	869
14	स्वजल धारा	स्टेट बैंक भराड़ी	5136	123288
15	एस डी पी	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक भराड़ी	8912	144751
16	**खाता 'क' की रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः**			**369**
बैंक खातों में जमा राशि का कुल योगः				**4383198**

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेषः		4336518
जमाः– वो चैक जो 31–03–2017 से पूर्व जारी किए गए थे परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैंः–		
मुख्यमन्त्री ग्राम आदर्श योजना के खाता 8908 से जारी चैक संख्या 259898	32550	
मुख्यमन्त्री ग्राम आदर्श योजना के खाता 8908 से जारी चैक संख्या 259899	13500	
मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना के खाता 8909 से जारी चैक संख्या 259746 जो कि ₹4080 के लिए था का भुगतान बैंक द्वारा पास बुक में ₹4050 दर्ज किया गया है	30	
(+) उपरोक्त तीनों चैकों का कुल योगः		**46080**
रोकड़ बहियों का संशोधित शेषः		**4382598**
बैंक खातों अनुसार अन्तशेषः		4383198
अन्तरः		**600**

उपरोक्त ₹600 के अन्तर जो कि पंचायत निधि खाता ''ख'' के वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित है के कारणों को स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में पन्द्रह अलग–अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन पन्द्रह रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित

भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 नियमों के विरूद्ध पन्द्रह बैंक बचत खातों का खोला जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत घण्डालवीं में दो के स्थान गत पैरा 5 में वर्णित पन्द्रह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन तेरह अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है लेकिन ग्राम पंचायत घण्डालवीं द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 खाता 'ख' के ₹3.07 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत घण्डालवीं के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹3,07,242 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं

किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह/वर्ष						कुल
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	ब्याज
5261	19269	22437	22171	27662	41629	44873	178041
6113	590	245	27	13	0	0	875
8910	0	0	0	0	8047	20377	28424
8905	34	409	257	709	474	0	1883
8911	0	0	0	0	318	647	965
8904	12	257	2835	797	489	263	4653
8906	801	96	52	53	54	55	1111
6017	15034	14019	12977	3472	0	0	45502
6738	408	577	714	728	772	783	3982
8907	0	700	3109	2367	2446	1270	9892
8908	0	1863	8428	2999	2248	1689	17227
8909	0	0	974	1123	460	212	2769
5136	2649	2321	1873	1199	1211	1603	10856
8912	3	0	0	0	0	1059	1062
कुल योगः–	**38800**	**42924**	**53417**	**41122**	**58148**	**72831**	**307242**

10 वर्ष 2016–17 के लिए किए गए ₹18.77 लाख के व्यय के लिए मनरेगा रोकड़ बही का रख रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत घण्डालवीं द्वारा मनरेगा के सन्दर्भ में उपलब्ध ऑनलाइन जानकारी के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2016–17 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी व निर्माण सामग्री पर कुल ₹18.77 लाख खर्च किए गए हैं। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से इस व्यय/आय के लिए मनरेगा रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई है और न ही इस बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। इस कारण से इस अवधि के लिए योजना की नमूना अंकेक्षण जांच सम्भव नहीं हो पाई है। अतः इस गम्भीर अनियमितता

के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 रोकड़ बही के लेखांकन में कमियाँः–

पंचायत की रोकड़ बहियों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इसका लेखांकन करते समय आवश्यक एहतियात नहीं बरती जाती है जिसके परिणामस्वरूप इनमें बार–बार त्रुटियां रह जाने के कारण सुधारात्मक प्रविष्टियों का लेखांकन किया गया है। उदाहरण के रूप में पंचायत निधि के खाता ''क'' की रोकड़ बही में पृष्ठ 71 पर दिनांक 31–03–2017 को आय की तरफ छः तथा व्यय की तरफ दो सुधारात्मक प्रविष्टियां लेखांकित की गई हैं जो रोकड़ बही के पृष्ठ 09 से लेकर पृष्ठ 70 तक पाई गई त्रुटियों के सन्दर्भ में हैं। रोकड़ बही जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख का इतनी लापरवाही से लेखांकन करना बहुत ही चिंतनीय है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य में आवश्यक एहतियात बरतना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

13 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा

सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

14 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड बहियों की चयनित माह हेतु नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार हस्तगत नकद राशि को निर्धारित ₹1000 की अधिकतम सीमा से अधिक रखा गया था, जो कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। निम्न तालिका में अंकेक्षणावधि के दौरान मासान्त में निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत शेष के कुछ प्रकरण उद्धृत किए गए हैं। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	**दिनांक**	**₹1000 से अधिक रखी गई हस्तगत राशि**
	खाता 'क' रोकड़ बहीः	
1	31.07.2014	2142
2	31.08.2014	5797
3	31.12.2014	1310
4	31.08.2015	1821
5	30.09.2015	1150
6	30.11.2015	1107

7	31.12.2015	3152
8	30.04.2016	1849
9	31.05.2016	1572
10	30.06.2016	2587
11	31.07.2016	1388
12	31.08.2016	2423
13	31.10.2016	1338
14	28.02.2017	1474

15 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप —11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

16 पंचायत राजस्व ₹0.63 लाख का वसूली हेतु शेषः—

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत घण्डालवीं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹63,140 (₹2640 / — गृहकर तथा ₹60,500 / — मोबाइल टॉवर शुल्क) की वसूली शेष थी।

1. **गृहकर** : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2014—15 में 850, 2015—16 में 850 तथा 2016—17 में 850 परिवारों के लिए ₹20 प्रति परिवार की दर से वर्ष 2014—15 तथा तत्पश्चात ₹50 प्रति परिवार से प्राप्य गृहकरः—

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	1180	17000	18180	5120	13060
2015–16	13060	42500	55560	260	55300
2016–17	55300	42500	97800	95160	2640

2. **मोबाईल टावरः**– पंचायत क्षेत्र में स्थापित टावरों की संख्याः तीन

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	50000.00	6000.00	56000.00	2500.00	53500.00
2015–16	53500.00	6000.00	59500.00	2500.00	57000.00
2016–17	57000.00	6000.00	63000.00	2500.00	60500.00

टिप्पणी 1:– हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के कार्यालय पत्र संख्याः पी.सी.एच. (2)8/99 दिनांक 09.11.2006 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टॉवर से ₹4000 स्थापना शुल्क तथा ₹2000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

टिप्पणी 2:– ऐयरसैल टॉवर, स्थापना वर्ष 2007–08 अब तक कोई वसूली नहीं की गई है।

टिप्पणी 3:– टाटाइन्डीकॉम टॉवर, स्थापना वर्ष 2008–09 अब तक कोई वसूली नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

17 अनुदान की राशि ₹39.85 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹39,84,860 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का

अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

18 हरियाली के अनुदान की ₹6.60 लाख को बिना उपयोग वापिस करने बारेः–

हरियाली परियोजना की रोकड़ बही की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पृष्ठ 48 पर दिनांक 09.10.2015 को निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि में से ₹6,60,032 को बिना उपयोग किए ही खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवीं को चैक संख्या 021626 द्वारा लौटा दिया गया है। इस अनुदान को वापिस किए जाने के सन्दर्भ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने वाला न तो अन्य कोई पत्राचार/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की प्राप्ति रसीद ही प्रस्तुत की गई है। अतः अनुदान की इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख का अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.36 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1,35,719 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता ''क''–			
1	23.10.2015	61	लेखन सामग्री	3874
2	08.03.2017	64	लेखन सामग्री	7513

	पंचायत निधि खाता ''ख''–			
3	09.10.2015	6	सेरामिक टाइलें	4208
	हरियालीः–			
4	30.12.2014	40	बरसाती फलदार पौधे	103600
5	30.12.2014	40	बरसाती फलदार पौधे	8000
6	30.12.2014	40	ढुलाई हेतु जीप किराया	4262
7	30.12.2014	41	ढुलाई हेतु जीप किराया	4262
	कुल योगः			**135719**

उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 खरीदी गई सामग्री पर ₹4190 का अनियमित व अधिक भुगतानः–

पंचायत के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार सम्बन्धित निविदाओं में स्वीकृत मूल्य से अधिक दर पर करवाए गए कार्य अथवा खरीदी गई सामग्री का भुगतान करके ₹4190 का अनियमित व अधिक व्यय किया गया है। अतः इस अधिक भुगतान की गई राशि के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उचित स्त्रोत से इसकी वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	रो•ब•पृ•	दिनांक	विवरण	अधिक भुगतान की गई राशि
	पंचायत निधि खाता ''ख'':–			
1	6	09.10.2015	भरडवाण गांव में 13वें वित्तायोग के अनुदान से बावड़ी की मुरम्मत कार्य में लगवाए गए लोहे के ग्रिल व	3690.00

			जालीदार ढक्कन हेतु महिन्द्र वैल्डिंग वर्क्स, घण्डालवीं चौक द्वारा निविदा में इस ढक्कन को लगाने हेतु ₹90 प्रति कि0ग्रा0 की दर दी थी जो कि पंचायत द्वारा स्वीकृत की गई है। परन्तु इस कार्य को करने के एवज में बिल संख्या 11 दिनांक 15.09.2015 में 229.800 कि ग्रा के ढक्कन के अतिरिक्त इसमें प्रयुक्त अन्य सामग्री के लिए ₹3690 की अतिरिक्त लागत जोड़ी गई है जो कि निविदा सम्बन्धी नियमों की अवहेलना के कारण अनियमित है।	
	मुख्यमन्त्री ग्राम आदर्श योजनाः–			
2	02	01.07.2015	शर्मा ट्रेडिंग कं॰ लदरौर को चैक संख्या 258852 द्वारा 1022.650 कि॰ ग्रा॰ सरिया के लिए उनके बिल संख्या 634 दिनांक 25.05.2015 पर ₹49,873 का भुगतान किया गया है जिसमें ₹500 लदाई व उतराई तथा गाड़ी किराए के भी शामिल हैं। परन्तु लदाई व उतराई तथा गाड़ी किराए का सम्बन्धित स्वीकृत निविदा में जिक्र न होने के कारण सवर्था अनियमित है।	500.00
			कुल अधिक भुगतानः–	**4190.00**

21 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस लापरवाही तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा।

परन्तु ग्राम पंचायत घण्डालवीं में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

23 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः—

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः—

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः—** पंचायत द्वारा मस्ट्रौल रजिस्टर में मस्ट्रौल को जारी करने से लेकर भुगतान तक का सम्पूर्ण विवरण जैसे जारी करने की दिनांक, दिहाड़ीदार की कार्ड संख्या, कार्य का नाम, रोजगार अवधि, किए गए कार्य दिवस, भुगतान का ब्यौरा जैसे दिनांक, राशि, रोकड़ बही का पृष्ठ इत्यादि सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज करने के स्थान इनमें से मात्र आधी अधूरी जानकारी ही दर्ज की जाती है।
2. **अधूरे रोजगार कार्डः—** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
3. संलग्न **परिशिष्ट '2'** पर दर्ज टिप्पणी देकर पंचायत रोजगार सहायक व सचिव द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है कि मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹49,97,823 का समस्त व्यय तथा इसी परिशिष्ट अनुसार 26973 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।
4. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः—** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस —1/2016—16—आर डी (पी आर सी) दिनांक 13—05—2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत घण्डालवीं द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

24 मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों की वाउचर फाइलों का अनुचित तरीके से रखरखावः–

मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से सम्बन्धित व्यय हेतु वाउचर फाइलें सामान्य तरीके से क्रमवार/दिनांकवार/माहवार/वर्षवार लगाने के स्थान पर किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर कार्यविशेष के लिए अलग–अलग लगाई गई हैं। वाउचर फाइलों का इस प्रकार से रखा जाना न केवल प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध है वरन् अंकेक्षण के दौरान भी बहुत समस्याएं आईं तथा अत्याधिक समय की बर्बादी हुई। अतः इस बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जैसे कि पंचायत में अन्य निधियों की वाउचर फाइलें रखी गई हैं वही प्रक्रिया मनरेगा के सन्दर्भ में भी अपनाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत घण्डावली में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में इन कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

25.1 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.2 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.3 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.4 तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

25.5 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

26 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत घण्डालवीं द्वारा स्टॉक

रजिस्टरों को आरम्भ तो किया गया है परन्तु उनका निरन्तर अद्यतन नहीं किया गया है। अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई समस्त सामग्री स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित नहीं की गई है। इसी प्रकार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टरों दर्ज नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है तथा सामग्री के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकन तथा उसके उपभोग के विवरण के अभाव में किया गया समस्त व्यय अनियमित है। अतः इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके इसका नियमतीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

27 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103

4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29 विविध अनियमितताएः–

29.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

29.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

30 **लघु आपति विवरणिका:–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

31 **निष्कर्ष:–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xii) 18/2017–खण्ड–1–5215–5218 दिनाँक 23.08. 2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत घण्डालवी, विकास खण्ड घुमारवीं तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046